

## जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की 109 वीं बैठक दिनांक 26.07.20007 को मध्याह्न पश्चात् 03.00 बजे आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, का कार्यवाही विवरण, एजेण्डा संख्या 10 से 15 व अतिरिक्त एजेण्डा संख्या 22 वरिष्ठ नगर नियोजक (बीपीसी), एजेण्डा संख्या 2 से 7 व अतिरिक्त एजेण्डा संख्या 1 से 8 वरिष्ठ नगर नियोजक(मास्टर प्लान) एवं एजेण्डा संख्या- 8 व 9 एवं अतिरिक्त एजेण्डा संख्या 9 से 19 वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट), एवं अतिरिक्त एजेण्डा संख्या 20 व 21 उपायुक्त जोन-11 द्वारा तैयार किया गया है जिसका संकलित कार्यवाही विवरण :-

बैठक में समिति के निम्न सदस्यों ने भाग लिया-

1. श्री मोहन लाल गुप्ता, माननीय विधायक, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
2. श्री नवरतन राजोरिया, माननीय विधायक, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
3. श्री रामनिवास मीणा, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
4. श्री एस.सी. महागांवकर, निदेशक (आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
5. श्री नरेश कुमार शर्मा, अति. आयुक्त (एल.पी.सी), जविप्रा, जयपुर।
6. श्री बी. के. दोसी, अति. आयुक्त (पूर्व), जविप्रा, जयपुर।
7. श्री एन. के. खींचा, अति. आयुक्त (भूमि), जविप्रा, जयपुर।
8. श्रीमती लवंग शर्मा, वरिष्ठ नगर नियोजक(बीपीसी), जविप्रा, जयपुर।

बैठक में निम्न अधिकारी भी उपस्थित थे-

1. श्री पी. अरविन्द, वरिष्ठ नगर नियोजक (एम.पी.) जविप्रा, जयपुर।
2. श्री नीरज तिवाडी, वरिष्ठ नगर नियोजक(प्रोजेक्ट.), जविप्रा, जयपुर।
3. श्री भगवान सहाय शर्मा, उपायुक्त जोन-2, जविप्रा, जयपुर।
4. श्री देवेन्द्र शर्मा, उपायुक्त जोन-3, जविप्रा, जयपुर।
5. श्री महेन्द्र सोनी, उपायुक्त जोन-6, जविप्रा, जयपुर।
6. श्री गिरिराज अग्रवाल, उपायुक्त जोन-7, जविप्रा, जयपुर।
7. श्री अंतर सिंह नेहरा, उपायुक्त जोन-8, जविप्रा, जयपुर।
8. श्री वासुदेव शर्मा, उपायुक्त जोन-9, जविप्रा, जयपुर।
9. श्री देवाराम सैनी, उपायुक्त जोन-10, जविप्रा, जयपुर।
10. श्री अरुण गर्ग, उपायुक्त जोन-11, जविप्रा, जयपुर।
11. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा, उपायुक्त जोन-12, जविप्रा, जयपुर।
12. श्रीमती साधना शर्मा, उप नगर नियोजक (प्रोजेक्ट) जविप्रा, जयपुर।
13. श्री प्रेमशंकर शर्मा, उप नगर नियोजक (बीपीसी-स्कीम्स) जविप्रा, जयपुर।
14. श्री श्रीनाथ माहेश्वरी, उप नगर नियोजक (एम.पी.) जविप्रा, जयपुर।
15. श्री हीरा लाल, उप नगर नियोजक, जोन-4, जविप्रा, जयपुर।
16. श्री नारायण शर्मा, सहायक नगर नियोजक, जोन-6, जविप्रा, जयपुर।
17. श्री शेराराम, उप नगर नियोजक, जोन-7, जविप्रा, जयपुर।
18. श्री गोपाल सैनी, उप नगर नियोजक, जोन-8, जविप्रा, जयपुर।

19. श्री ललित भंडारी, सहायक नगर नियोजक, जोन-9, जविप्रा, जयपुर।
  20. श्रीमती रिकु बंसल, सहायक नगर नियोजक, जोन-10, जविप्रा, जयपुर।
  21. श्री हरि प्रसाद शर्मा, सहायक नगर नियोजक, जोन-11, जविप्रा, जयपुर।
  22. श्री मोहन लाल शर्मा, सहायक नगर नियोजक, जोन-12, जविप्रा, जयपुर।
- 

### एजेण्डा विवरण:-

#### एजेण्डा आइटम सं:-1

विषय:- बीपीसी (ले आउट प्लान) की 108 वीं बैठक दिनांक 22.06.2007 को सम्पन्न हुई के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।

कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गयी।

#### एजेण्डा आइटम सं.-2(जोन-01)

विषय:- बजाज नगर हाउसिंग को ऑपरेटिव सोसायटी की स्कीम नम्बर 4, टोंक रोड में स्वीकृत मानचित्र में भूखण्ड संख्या जे-54 से जे-63 के स्थान पर एल-54 से एल-63 रखने बाबत।

जोन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को समिति द्वारा अनुमोदित किया गया।

#### एजेण्डा आइटम सं.-3(जोन-6)

विषय:- सैक्टर 16 में स्थित 100 फीट सैक्टर रोड को 40 फीट करने के संबंध में।

जोन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को समिति द्वारा अनुमोदित किया गया।

#### एजेण्डा आइटम सं.-4(जोन-6)

विषय:- सुभाष सिन्धी गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना-21 साउथ की योजना में स्थित सुविधा क्षेत्र (2426.66 वर्ग गज) का एण्डयूज सुविधा क्षेत्र (महाराण प्रताप स्पोर्ट्स ग्राउण्ड) से सामुदायिक भवन परिवर्तन करने बाबत।

जोन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार सुविधा क्षेत्र का उपयोग (एण्डयूज) सामुदायिक भवन (पब्लिक यूटिलिटी) हेतु करने का निर्णय लिया गया।

#### एजेण्डा आइटम सं.-5(जोन-6)

विषय:- मित्र गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना प्रेम नगर के भूखण्ड संख्या 41 व 42 को सुविधा क्षेत्र से मुक्त करने बाबत।

उपायुक्त जोन द्वारा समिति को बताया गया कि भूखण्ड संख्या 41 व 42 दोनों दिनांक 13.11.2001 से पूर्व के निर्मित हैं एवम् प्राधिकरण की बैठक द्वारा निर्धारित मापदण्डों को पूर्ण करते हैं, तदनुसार समिति द्वारा भूखण्ड संख्या 41 व 42 को सुविधा क्षेत्र से मुक्त करने का निर्णय लिया गया।

#### एजेण्डा आइटम सं.-6(जोन-7)

विषय:- राम नगर गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना विनायक विहार में भूखण्ड संख्या 99 एवं 100 के स्थान पर भूखण्ड संख्या 99 को योजना प्लान में रखते हुए अनुमोदन के संबंध में।



जोन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को समिति द्वारा अनुमोदित किया गया।

### एजेण्डा आइटम सं.-7(जोन-7)

विषय:- पथिक भवन गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना स्कीम नम्बर 16, गिरनार कॉलोनी के भूखण्ड संख्या 74 के स्थान परिवर्तन के संबंध में।

प्रस्तुत एजेण्डा पर समिति द्वारा विचार विमर्श किया गया। उपायुक्त जोन द्वारा बताया गया कि भूखण्ड संख्या 74 मौका स्थिति अनुसार भूखण्ड संख्या 72 के स्थान पर आ रहा है। अतः समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि भूखण्ड संख्या 72 के स्थान पर भूखण्ड संख्या 74 का मौके पर उपलब्ध नापों के अनुसार सड़क क्षेत्र छोड़कर सृजन कर दिया जावे।

### एजेण्डा आइटम सं.-8(जोन-5)

विषय:- नव जीवन गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना साकेत कोलोनी के भूखण्ड संख्या 41 को खुला स्थान क्षेत्र से मुक्त करने बाबत।

सुविधा क्षेत्र में किये गये निर्माणों के नियमन के संबंध में कार्यालय आदेश क्रमांक जविप्रा/उपायुक्त/जोन-5/07/डी-2826 दिनांक 12.04.07 के तहत सुविधा क्षेत्र में दिनांक 13.11.01 तक निर्माण कार्य हो चुका हो उनका नियमन किया जावे, किन्तु इस आदेश में खुले स्थान पर कोई टिप्पणी अंकित नहीं है। आवेदित भूखण्ड पर निर्माण के संबंध में प्राप्त दस्तावेजों एवं जोन स्तरीय कमेटी की अनुशंसा के आधार पर आवेदित भूखण्ड को खुले क्षेत्र से मुक्त किया जाकर नियमन की कार्यवाही की जावे।

### एजेण्डा आइटम सं.-9(जोन-10)

विषय:-जविप्रा कि अनुमोदित योजना फतह नगर-ए के भूखण्ड संख्या 15 व 16 के भूखण्ड संख्या में संशोधन की स्वीकृति व भूखण्ड संख्या 16 को गैर अनुमोदित किये जाने बाबत।

प्रकरण पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि योजना फतह नगर ए के पूर्व में अनुमोदित मानचित्र में अंकित भूखण्ड संख्या 15 को 15 बी तथा भू सं. 16 को 15 ए अंकित करने तथा भू सं. 16 प्लांटेशन कोरीडोर में आने के कारण इसे गैर अनुमोदित किया जावे।

### एजेण्डा आइटम सं.-10(जोन-8)

विषय:- जय चामुण्डा गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना श्याम विहार के भूखण्ड संख्या 56 से 64 तक का नियमन किए जाने के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। श्याम विहार योजना भवन मानचित्र समिति (एल.पी) की बैठक दिनांक 10.12.2004 में स्वीकृत की गई थी जिसमें भूखण्ड संख्या 56 से 64 में मैरिज गार्डन होने के कारण इन भूखण्डों को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया था। इन भूखण्डधारियों द्वारा प्राधिकरण में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है जिनमें उल्लेख किया है कि इन भूखण्डों पर अब मैरिज गार्डन नहीं चल रहा है। इसलिए इन भूखण्डों का पट्टा दिया जावे। समिति ने उनके प्रतिवेदन पर विचार विमर्श किया। विचार विमर्श के दौरान उपायुक्त जोन ने समिति के सदस्यों को बताया कि अभी इन भूखण्डों में मैरिज गार्डन नहीं चल रहा है। अतः समिति ने विचार विमर्श पश्चात् भूखण्ड संख्या 56 से 64 को स्वीकृत किए जाने का निर्णय लिया गया।

### एजेण्डा आइटम सं.-11(जोन-11)



विषय:— श्री राधेश्याम बाबूलाल खसरा नम्बर 808, ग्राम जयसिंहपुराबास, भांकरोटा तहसील सांगानेर सेक्टर प्लान 51, 52, 53 में 60' सेक्टर रोड प्रस्ताव के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष विचार विमर्श हेतु प्रस्तुत किया। चूँकि सेक्टर प्लान में इस भूमि के सामने 60'-0" चौड़ी सड़क प्रस्तावित नहीं है तथा इस 60'-0" चौड़ी सड़क सेक्टर प्लान में प्रस्तावित करने से इस सड़क के दोनों ओर के भूमि धारक प्रभावित होते हैं। इसलिए सेक्टर प्लान में 60'-0" चौड़ी सड़क प्रस्तावित नहीं किए जाने का निर्णय लिया गया।

### एजेण्डा आइटम सं.-12(जोन-12)

विषय:— पटेल नगर गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना श्रीराम की नांगल तहसील सांगानेर में स्थित आवासीय योजना (सीतानगर-द्वितीय) के अनुमोदन के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष विचार विमर्श हेतु प्रस्तुत किया। विचार विमर्श पश्चात् निम्न शर्तों के अनुसार योजना को स्वीकृत किये जाने निर्णय लिया गया:—

1. योजना में प्रस्तावित 20'-0" व 25'-0" चौड़ी सड़कों को 30'-0" चौड़ी की जावे इस हेतु योजना में प्रस्तावित 25'-0" चौड़ी सड़कों पर स्थित भूखण्डों के दोनों ओर 2'-6" — 2'-6" तथा 20' प्रस्तावित सड़कों पर भूखण्डधारियों से दोनो ओर 5'0"— 5'-0" भूमि ली जावे।
2. योजना के सामने की सड़क की चौड़ाई 80'-0" मानते हुए सड़क के केन्द्र बिन्दु से 40'-0" की दूरी में आने वाली भूमि को प्रभावित भूखण्डों में से कम किया जावे।

### एजेण्डा आइटम सं.-13(जोन-11)

विषय:— श्री राजेश गुप्ता एवं श्री संदीप खण्डेलवाल खसरा नम्बर 425, 425/523 ग्राम निवारु में एकल पट्टा दिये जाने के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष विचार विमर्श हेतु प्रस्तुत किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन जिसमें उल्लेख किया गया है कि प्रार्थी का भूखण्ड सेक्टर रोड 60'-0" पर है। इसलिए उसे ग्रुप हाउसिंग हेतु पट्टा दिया जावे। विचार विमर्श पश्चात् सर्व सम्मति से निर्णय लिया कि प्रार्थी का भूखण्ड 60'-0" सड़क पर केवल 30'-0" चौड़ाई में खुलता है इसलिए इस पर ग्रुप हाउसिंग का पट्टा नहीं दिया जावे।

### एजेण्डा आइटम सं.-14(जोन-12)

विषय:— श्री गणपति गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना गणेश वाटिका ग्राम निवारु तहसील जयपुर के अनुमोदन के संबंध में

प्रकरण समिति के समक्ष विचार विमर्श हेतु प्रस्तुत किया। विचार विमर्श पश्चात् निम्न शर्तों के साथ योजना को स्वीकृत करने का निर्णय लिया:—

1. 80' सेक्टर रोड में आने वाले भूखण्डों को अस्वीकृत किया जावे।

2. 11 के. वी. एच. टी. लाईन के दोनो ओर 15'-15' की दूरी में आने वाली भूमि प्रभावित भूखण्डों में से कम की जावे।
3. 60'-0" चौड़ी सडक में प्रस्तावित दुकानों को अस्वीकृत किया जावे।
4. जिन भूखण्डों में सैटबैक छोडने के पश्चात् आच्छादित क्षेत्रफल नहीं मिलता है उन्हें अस्वीकृत किया जावे।
5. योजना के भूखण्ड संख्या 175 के दक्षिण की ओर प्रस्तावित दुकानों को अस्वीकृत किया जावे।
6. योजना में सडकों की चौडाई कम से कम 30'-0" की जावे इस हेतु दोनों ओर के भूखण्डों में से बराबर बराबर की भूमि कम की जावे।

### एजेण्डा आइटम सं.-15(जोन-12)

विषय:- श्री गणपति गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना बालाजी विहार-9, ग्राम हाथोज तहसील जयपुर के अनुमोदन के संबंध में

प्रकरण समिति के समक्ष विचार विमर्श हेतु प्रस्तुत किया। विचार विमर्श पश्चात् निम्न शर्तों के अनुसार योजना को स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया:-

1. योजना के दक्षिण की ओर 60'-0" सेक्टर रोड पर भूखण्ड संख्या 98 से 107, 13ए, 12ए, 45ए, 45बी, दुकान संख्या 18 से 24, 25 से 43, 50 से 56, 57 से 65, 73 से 78, 79 को अस्वीकृत किया जावे।
2. पुराना निवारु रोड पर दुकान संख्या 1 से 17 को अस्वीकृत किया जावे।
3. योजना के उत्तर की ओर खसरा बाउण्ड्री के बाहर के भूखण्ड संख्या 62 से 66 को अस्वीकृत किया जावे।
4. एल.टी. लाईन के नीचे के भूखण्डों का नियमन एल.टी. लाईन के हटने के पश्चात् किया जावे।
5. 200'-0" चौड़ी सडक से प्रभावित भूखण्ड संख्या 41 से 45 को अस्वीकृत किया जावे।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से निम्न अतिरिक्त एजेण्डाओ पर विचार-विमर्श कर निर्णय लिये गये:-

### अतिरिक्त एजेण्डा आइटम संख्या-1 (जोन-6)

विषय:- श्री गणपति गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना गणेश नगर प्रथम के अनुमोदन बाबत। (सैक्टर - 31)

समिति द्वारा विचार विमर्श कर निम्नवत निर्णय लिये गये:-

1. भूखण्ड संख्या ए-57, 58 व ए-26 पूर्ण रूप से 60' चौड़ी सैक्टर रोड में आने के कारण अस्वीकृत किये गये। भूखण्ड संख्या ए-25, ए-27, ए-56, ए-59 में सैटबैक के पश्चात निर्माण योग्य क्षेत्र नहीं मिलने के कारण अस्वीकृत किये गये। भूखण्ड संख्या ए-97 से ए-110 व ए-82 से ए-96 की गहराई 60 फिट चौड़ी सडक से प्रभावित होने के कारण



45 फिट के स्थान पर 30 फिट अनुमोदित की गई एवम् इन भूखण्डों के लिए सैट बैक में एक स्टेप की छूट दिये जाने का निर्णय लिया गया।

2. एल. टी. विद्युत लाइनों से प्रभावित भूखण्डों का, लाइन हट जाने के पश्चात, नियमन किया जावे।
3. सभी आन्तरिक सडके न्यूनतम 30 फिट चौड़ाई की रखी जावें।
4. जिन आवासीय भूखण्डों में व्यवसायिक व विद्यालय गतिविधि है उनका आवासीय नियमन नहीं किया जावे।
5. सैक्टर 31 के भू-उपयोग उपान्तरण के नोटिफिकेशन की कार्यवाही उपायुक्त जोन द्वारा की जावे।
6. योजना में प्रस्तावित समस्त व्यवसायिक-दुकाने अस्वीकृत करके इनके स्थान पर रोड साइड फ़ैसिलिटी दर्शाई जावे।
7. सहकारी समिति द्वारा प्रस्तुत प्लान में उपरोक्तानुसार संशोधन करके नियमन शिविर लगाया जावे।

#### अतिरिक्त एजेण्डा आईटम संख्या – 2 (जोन-6)

विषय:- श्री गणपति गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना गणेशनगर-IV के अनुमोदन बाबत।

1. सभी आन्तरिक सडकें न्यूनतम 30 फिट चौड़ाई की रखी जावें।
2. भूखण्ड संख्या 19-बी (पार्ट) 20 (पूर्ण) व 20-ए (पार्ट) से गणेश नगर प्रथम योजना के लिए 30 फिट चौड़ा रोड लिंक दिया जावे। तदानुसार 19-बी, (पार्ट) व 20 (पूर्ण) अस्वीकृत किया गया। भूखण्ड संख्या 20-ए में रोड लिंक देने के पश्चात निर्माण योग्य क्षेत्रफल नहीं मिलता है तदानुसार अस्वीकृत किया गया।
3. 60 फिट चौड़ी सैक्टर रोड से प्रभावित भूखण्ड संख्या 309, 308, 264 से 287 व 288 से 307 में सैक्टर रोड से प्रभावित क्षेत्र छोड़कर शेष क्षेत्र का नियमन किया जावे व जिन भूखण्डों में निर्माण योग्य क्षेत्रफल नहीं मिलता है उनका नियमन नहीं किया जावें।
4. एल. टी. विद्युत लाइनों से प्रभावित भूखण्डों का लाइन हटने के पश्चात नियमन किया जावें।
5. जिन आवासीय भूखण्डों में व्यवसायिक व विद्यालय गतिविधि है उनका आवासीय नियमन नहीं किया जावें।
6. योजना में प्रस्तावित समस्त व्यवसायिक दुकाने अस्वीकृत करके इनके स्थान पर रोड साइड फ़ैसिलिटी दर्शाई जावे।
7. सहकारी समिति द्वारा प्रस्तुत प्लान में उपरोक्तानुसार संशोधन करके नियमन शिविर लगाया जावें।

#### अतिरिक्त एजेण्डा संख्या-3 (जोन-2)



विषय:— जैम्स बगीची विकास समिति द्वारा प्रस्तुत योजना जैम्स बगीची के अनुमोदन बाबत।

समिति द्वारा उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत तथ्यों पर विचार विमर्श किया गया एवम् विकास समिति के सदस्यों को सुना गया। समिति द्वारा विचार विमर्श कर पूर्ण भूमि अवाप्तशुदा होने के कारण निम्नवत निर्णय लिया गया:—

1. खातेदार की 10 बिस्वा अवाप्तशुदा कब्जेशुदा भूमि को योजना का भाग माना जावे।
2. विद्याधर नगर की 200' सडक को योजना का भाग माना जावे।
3. योजना की भूमि को अवाप्तशुदा मानी जावे।
4. केवल आवासीय भूखण्डों का नियमन किया जावे।
5. योजना की सभी आन्तरिक सडकों को 30 फिट एवं जहां सडक Cul de sake रूप में हो वहां कम से कम 20 फिट चौडी रखी जावे।
6. सदस्य सूची का सहकारिता प्रकोष्ठ से नियमानुसार प्रमाणीकरण करवाकर नियमन की कार्यवाही की जावे।
7. योजना की भूमि विद्याधर की अवाप्तशुदा भूमि है व 2 बीघा से अधिक है अतः नियमानुसार राज्य सरकार से स्वीकृति ली जावे।

#### अतिरिक्त एजेण्डा संख्या—4 (जोन—7)

विषय:— संयुक्त गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना ऑफिसर्स कैम्पस विस्तार की सडके के 40 फिट के स्थान पर 34 फिट चौडाई उपलब्धता के सम्बन्ध में।

उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर समिति द्वारा प्रभावित भूखण्डधारियों को सुना गया एवम् विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि जोन द्वारा इस सडक का पूर्ण सर्वे कराया जावे एवम् जिन भूखण्डधारियों ने सडक क्षेत्र एवम् फ्रन्ट सैट बैंक क्षेत्र में वायोलेशन किया है उनकी पूर्ण जांच जोन स्तर से की जाकर वायोलेशन करने वाले भूखण्डधारियों को नोटिस देकर वायोलेशन हटाने की कार्यवाही की जावे।

#### अतिरिक्त एजेण्डा संख्या—5 (जोन—7)

विषय:— मोती भवन गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना हनुमान नगर विस्तार भूखण्ड संख्या 162—163 के सामने अनुमोदित सुविधा क्षेत्र को चिल्ड्रन पार्क में भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर सुविधा क्षेत्र के भूखण्ड के प्रस्तावित उपयोग चिल्ड्रन्स पार्क के लिए अनुमोदन किया गया।

#### अतिरिक्त एजेण्डा संख्या—6 (जोन—7)

विषय:— मोती भवन गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना डिफेन्स कॉलोनी के भूखण्ड संख्या 36 की लम्बाई की नापों में संशोधन के सम्बन्ध में।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि भूखण्ड संख्या 36 व 39 के सहकारी समिति द्वारा जारी आवंटन के दस्तावेजात की मौका स्थिति से मिलान की स्थिति में भूखण्ड संख्या 36 को जोन के प्रस्ताव अनुसार अनुमोदित किया जावे।



- ❖ भूखण्ड संख्या 22-ए, 23 का भाग फैंसीलिटी एरिया व सडक क्षेत्र. में आ रहा है। अतः उक्त अवैध भाग को हटाने के पश्चात् ही भूखण्डों का नियमन किया जावे।
- ❖ संशोधित मानचित्र के अनुसार स्थाई डिमाकेशन सहकारी समिति के स्तर पर किया जावे।
- ❖ कॉर्नर भूखण्डों की गोलाई नियमानुसार कम की जाकर भूखण्डों का नियमन किया जावे। उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण करते हुए योजना अनुमोदित की जावे।

#### अतिरिक्त एजेण्डा संख्या-12 (जोन-10)

विषय:-श्री लक्ष्मी गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना गांधी विहार के अनुमोदन के संबंध में।

जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श कर निम्नांकित निर्णय लिये गये:-

- ❖ योजना का कुल क्षेत्रफल 1.37 हैक्टेयर अर्थात् 13700 वर्ग मीटर भूमि की 90बी की कार्यवाही की गई। पीटी सर्वे पर अंकित खसरा बाउन्ड्री के आधार पर योजना का क्षेत्रफल 13250.56 वर्ग मीटर है, जिसे यथावत रखा जावे।
- ❖ योजना की सभी आंतरिक सडकों को 30 फीट किया जावे।
- ❖ भू सं. 16, 17, 37, 38 व 68 के दक्षिण में समिति द्वारा सडक दिखाई गई है किन्तु उक्त जगह पर मौके पर नाला है अतः इसे नाला ही अंकित किया जावे।
- ❖ समिति द्वारा प्रस्तुत योजना मानचित्र में भू सं. 54 के उत्तर में गांधी विहार ए योजना के एप्रोच हेतु सडक दर्शित है अतः उक्त भूखण्ड का नियमन गांधी विहार ए योजना के अनुमोदन पश्चात् ही किया जावे।
- ❖ जिन भूखण्डों में व्यावसायिक गतिविधियां चल रही है, उन्हें व्यावसायिक गतिविधियां के हटाने के पश्चात् ही नियमन किया जावे।
- ❖ खसरा सीमा के अर्न्तगत आने वाले क्षेत्र का ही नियमन किया जावे। खसरा सीमा से बाहर स्थित भूखण्डों का नियमन नहीं किया जावे।
- ❖ जिन भूखण्डों को सैटबैक लगाने के पश्चात् नियमानुसार बिल्टबप एरिया नहीं मिलता है उन्हें गैर अनुमोदित किया जावे।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण करते हुए योजना अनुमोदित की जावे।

#### अतिरिक्त एजेण्डा संख्या-13 (जोन:-12)

विषय:-विकास भवन गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना हरिया नगर का भू-उपयोग उपान्तरण करने के संबंध में।

आदेश क्रमांक प-5(3) नविवि/3/99 दिनांक 28.09.02 के हित कृषि भूमि पर भू-उपयोग परिवर्तन का अधिकार जयपुर विकास प्राधिकरण की बीपीसी (ले-आउट-प्लान) को दिया गया है अतः प्रस्तावित विकास भवन गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना हरिया नगर का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय किया जाता है।

#### अतिरिक्त एजेण्डा संख्या-14 (जोन:-4)

विषय:-कृष्णापुरी गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना स्कीम नं. 3 ग्राम बिन्दायका जयपुर जयपुर के अनुमोदन के संबंध में।

जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श कर निम्नांकित निर्णय लिये गये:-



## अतिरिक्त एजेण्डा संख्या-7 (जोन-7)

विषय :-शंकर भवन गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना सत्य कॉलोनी के भूखण्ड संख्या 18-ए, 18-बी, 18-सी की नापों में परिवर्तन करने एवम् उक्त भूखण्डों पर आ रही अतिरिक्त भूमि के नियमन के सम्बन्ध में।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर यह स्पष्ट किया गया कि कृषि भूमि नियमन के प्रकरणों के लिए आदेश क्रमांक जविप्रा/2000/2022 दिनांक 14.03.2000 के अनुसार कार्यवाही किया जाना निर्धारित है, अतः तदानुसार कार्यवाही की जावे।

## अतिरिक्त एजेण्डा संख्या-8 (जोन-7)

विषय:- नेशनल हाउसिंग को. आ.सो. की अमर नगर योजना के भूखण्ड संख्या 131 से 138 को मौका स्थिति अनुसार अतिरिक्त भूमि के दर निर्धारण बाबत।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर यह स्पष्ट किया गया कि कृषि भूमि नियमन के प्रकरणों के लिए आदेश क्रमांक जविप्रा/2000/2022 दिनांक 14.03.2000 के अनुसार कार्यवाही किया जाना निर्धारित है, अतः तदानुसार कार्यवाही की जावे।

## अतिरिक्त एजेण्डा संख्या-9 (जोन-5)

विषय:-नव जीवन गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना निर्माण नगर-डी में भूखण्ड संख्या 217 से 228 के सामने अनुमोदित योजना मानचित्र में स्थित सुविधा क्षेत्र का एण्ड यूज पार्क के रूप में किये जाने के संबंध में।

प्रकरण पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि भूखण्ड संख्या 217 से 228 के सामने स्थित सुविधा क्षेत्र का एण्ड यूज पार्क रखा जावे।

## अतिरिक्त एजेण्डा संख्या-10 (जोन-9)

विषय:-शिव शंकर हाउसिंग को-आपरेटिव सोसायटि लि. की योजना बुद्ध विहार के अनुमोदन के संबंध में।

जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श कर निम्नांकित निर्णय लिये गये:-

- ❖ 11 केवी एच.टी.लाईन से प्रभावित भूखण्डों का नियमन इस लाईन के हटाने के पश्चात् ही किया जावे। लाईन हटाने का कार्य सोसायटी द्वारा किया जावे एवं 11 केवी एच.टी.लाईन से आंशिक प्रभावित भूखण्डों में निर्धारित सुरक्षित क्षेत्र छोड़ने के पश्चात् नियमन किया जावे।
- ❖ सिर्फ खसरा सीमा के अन्दर के भूखण्डों का नियमन किया जावे।
- ❖ समिति द्वारा संशोधित मानचित्र के अनुसार स्थाई डिमार्केशन सहकारी समिति के स्तर पर किया जावे।
- ❖ कॉर्नर भूखण्डों की गोलाई नियमानुसार कम की जाकर भूखण्डों का नियमन किया जावे। उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण करते हुए योजना अनुमोदित की जावे।

## अतिरिक्त एजेण्डा संख्या-11 (जोन-9)

विषय:-शिव शंकर हाउसिंग को-आपरेटिव सोसायटि लि. की योजना ओम विहार के अनुमोदन के संबंध में।

जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श कर निम्नांकित निर्णय लिये गये:-

विषय:—दी फारेस्ट व्यू हाउसिंग को—आपरेटिव सोसायटि आवासीय योजना गुरु कोलोनी के नियमन बाबत।

जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श कर निम्नांकित निर्णय लिये गये:—

- ❖ उक्त योजना सेक्टर 34 में स्थित है। अतः भू-उपयोग परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।
- ❖ सेक्टर 34 में दर्शित सभी सेक्टर रोड को योजना मानचित्र में शामिल किया जावे तथा योजना की सभी आंतरिक सडकों को 30' रखा जावे।
- ❖ 132 के.वी. की एच.टी. लाईन के दोनों ओर 50' के दायरे में आने वाले सभी भूखण्डों का नियमन नहीं किया जावे।
- ❖ समिति द्वारा प्रस्तुत योजना मानचित्र में जो भूखण्ड सृजित नहीं है किन्तु मौके पर सृजित है उन्हें योजना क्षेत्रफल का भाग ना मानते हुए नियमन की कार्यवाही नहीं की जावे। अतः कुल 44775.52 वर्ग गज योजना क्षेत्रफल में से उक्त भूखण्डों का क्षेत्रफल 5421.72 वर्गगज कम करने के पश्चात् 39353.80 वर्ग गज योजना क्षेत्रफल का नियमन किया जावे।
- ❖ 200' चौड़ी गोनेर रोड एवं 50 फीट प्लांटेशन कोरीडोर से प्रभावित भूखण्डों (दुकान संख्या 1 से 12 तथा भू. सं. 1, 3, 19, ए/ए-9, ए/ए-8, 18, 4 व 2-बी) को गैर अनुमोदित किया जावे। 50' प्लांटेशन कोरीडोर को सैटबैक के रूप में मानने के पश्चात् जिन भूखण्डों को बिल्टअप एरिया मिलता है, उनका नियमन किया जावे।
- ❖ जिन भूखण्डों में व्यावसायिक गतिविधियां चल रही है उन्हें व्यावसायिक गतिविधि हटने के पश्चात् ही लीजडीड जारी की जावे।
- ❖ खसरा सीमा के अर्न्तगत आने वाले क्षेत्र का ही नियमन किया जावे।
- ❖ जिन भूखण्डों को सैटबैक लगाने के पश्चात् बिल्ट अप एरिया नहीं मिलता उन्हें गैर अनुमोदित किया जावे।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण करते हुए योजना अनुमोदित की जावे।

#### अतिरिक्त एजेण्डा संख्या-17 (जोन-4)

विषय:—हथरोई गढी गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना शिव गौरक्ष नगर ग्राम बिन्दायका तहसील सांगानेर के अनुमोदन के संबंध में।

जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श कर निम्नांकित निर्णय लिये गये:—

- ❖ सेक्टर प्लान संख्या 9 पार्ट 2 में रेलवे लाईन के समानान्तर प्रस्तावित 80'-0" चौड़ी सेक्टर रोड से योजना के भूखण्ड संख्या 1, 2, 3, 15, 16, 17, 69, 70, 161, 162, 16-ए, 159-ए, 159-बी प्रभावित होते हैं। इन भूखण्डों को अस्वीकृत किया जावे।
- ❖ भूखण्डा संख्या 9 के उत्तर पूर्वी कोने पर पूरण बाडी योजना के भूखण्ड संख्या 14 स्थित है। इस भूखण्ड के दक्षिण तक 30 फिट चौड़ी रोड आकर मिल रही है। पूरण बाडी की इस रोड को योजना की रोड से मिलाया जाता है तो दोनों भूखण्डों का आंशिक भाग प्रभावित होता है। मौके पर दोनों भूखण्ड बने हुए हैं। अतः मौका स्थिति अनुसार ही नियमन की कार्यवाही की जावे।
- ❖ रेलवे लाईन के समानान्तर प्रस्तावित 80'-0" चौड़ी सेक्टर रोड से सोसायटी मानचित्र में दर्शित दुकानों की भूमि पूर्णतया प्रभावित होती है अतः जिन्हे अस्वीकृत किया जावे।
- ❖ भूखण्ड संख्या 136 के उपर से विद्युत लाईन गुजर रही है। अतः विद्युत लाईन हटने के पश्चात् इसका नियमन किया जावे।



- ❖ योजना के जिन भूखण्डों में रोड पर या योजना की बाहरी सीमाओं में अतिक्रमण कर क्षेत्रफल बड़ा लिया है ऐसे भूखण्डों को सोसायटी मानचित्र में दर्शित क्षेत्रफल अनुसार नियमन किया जावे।
- ❖ भूखण्ड संख्या 17 से 33 व 34 से 48, 63, 64 के मध्य की रोड मौके पर 28'-9" चौड़ाई तक उपलब्ध है। सेक्टर प्लान में इस रोड को 40 फीट चौड़ी दर्शाया गया है, रोड को सेक्टर प्लान 9 पार्ट द्वितिय में प्रस्तावित अनुसार 40' चौड़ी किया जावे।
- ❖ भू.सं. 39, 40, 128 से 132-बी खातेदार के मकानों तक भूखण्ड संख्या 115 से 127 के मध्य की रोड जो मौके पर 28'-0" से 30'-0" चौड़ाई में उपलब्ध है। रोड को 40'-0" चौड़ा स्वीकृत किया जावे।
- ❖ सैक्टर प्लान संख्या 9 पार्ट द्वितिय में प्रस्तावित चौड़ी सैक्टर रोड भूखण्ड संख्या 116, 106, 107, 108, 109, 145, 156, 157, 159, 142, 143, 144, 110, 111, 112, 114, 115 के स्थान पर प्रस्तावित है। इन भूखण्डों में से अधिकांश भूखण्डों में मौके पर मकान बने हुये हैं। इसलिये योजना के भूखण्ड संख्या 142 से 144, 110 से 115 व 133 से 140 के मध्य की रोड जो मौके पर 28'-6" चौड़ाई में उपलब्ध है इस रोड को सेक्टर प्लान की रोड में समायोजित करते हुए 40' चौड़ी स्वीकृत की जावे।
- ❖ योजना के भूखण्ड संख्या 91 व 92 भूखण्ड संख्या 105 व 106 को प्रवेश हेतु रास्ता 15' चौड़ा ही उपलब्ध होता है। इनको मौका स्थिति अनुसार ही स्वीकृत किया । उपरोक्त सडकों के अतिरिक्त योजना की शेष सभी सडकों की चौड़ाई को 30' किया जावे।
- ❖ भूखण्ड संख्या 123 से 129 के संबंध में वाद माननीय न्यायालय में लम्बित है। अतः इन भूखण्डों को वर्तमान परिवेश के आधार पर अस्वीकृत किया जावे।
- ❖ जिन भूखण्डों में पुर्नगठन/विभाजन मौके पर कर लिया है ऐसे भूखण्डों की स्वीकृति हेतु जोन स्तर पर परीक्षण किया जाकर निर्णय लिया जावे।  
उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण करते हुए योजना अनुमोदित की जावे।

#### अतिरिक्त एजेण्डा संख्या-18 (जोन- 4)

विषय:- हथरोई गढी गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना शिव शक्ति नगर बी के अनुमोदन के संबंध में।

जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श कर निम्नांकित निर्णय लिये गये:-

- ❖ योजना की भूमि सैक्टर प्लान संख्या 9 पार्ट 2 के अर्न्तगत प्रस्तावित 200 फीट व 100 फीट चौड़ी सडक पर स्थित है। मौके पर 200 फीट चौड़ी रोड 135 फीट चौड़ाई में व 100 चौड़ी रोड 92 फीट चौड़ाई में उपलब्ध है। 100 फीट चौड़ी रोड हेतु योजना की दुकानों में से भूमि लेते हुये 100 फीट किया जाना तथा 200 फीट चौड़ी रोड के लिये रोड के मध्य बिन्दु से दोनों ओर समान भूमि लेते हुये 200 फीट किया जावे।
- ❖ योजना में मुख्य मार्ग पर 38 दुकाने प्रस्तावित है। इनमें से 6 दुकानें निर्मित है। सेक्टर प्लान अनुसार रोड की चौड़ाई 200 फीट 100 फीट रखने से सभी दुकानें प्रभावित होगी। जिन्हें अस्वीकृत किया जावे। भू. सं 12 से 16 व 31 में दुकानों व भूखण्डों के मध्य 10' चौड़ा रास्ता दिखाया गया है इन भूखण्डों को सोसायटी के मानचित्र अनुसार स्वीकृत किया जावे।



- ❖ योजना के अनुसार भू. संख्या 67 से 71 व 72, 89 से 92 तक के भूखण्डों के मध्य प्रस्तावित 25 फीट चौड़ी रोड को सेक्टर प्लान अनुसार 40'-0" चौड़ी किया जावे। भूखण्ड संख्या 72 से 79 व 80, 81, 82, 88, 89 के मध्य की रोड मौके पर 25 फीट चौड़ी उपलब्ध है। सेक्टर प्लान में इसी रोड पर 40' प्रस्तावित की गई है। अतः रोड की चौड़ाई 40' ही स्वीकृत की जावे। इन सडकों को योजना की साथ लगती योजनायें इन्कम टैक्स कोलोनी द्वितिय व माडल टाउन डी में 40' चौड़ी ही स्वीकृत की जावे।
- ❖ भूखण्ड संख्या 82 से 84 के मध्य रोड 20 फीट प्रस्तावित है यह एक भू. सं. 83 हेतु रास्ता है इसे 20' ही रखा जावे। योजना की अतिरिक्त सभी आंतरिक सडकों की चौड़ाई को 30' ही रखा जावे।
- ❖ योजना के भू. संख्या 23 व 72 में व्यावसायिक गतिविधियां चल रही है अतः इन गतिविधियों को हटाने के पश्चात् ही इनका नियमन किया जावे।  
योजना के खसरा नं. 201, 202 व 203 की भूमि पर काश्तकारों का कब्जा है योजना मानचित्र में भूमि को रिजर्व भूमि अंकित किया गया है एवं खातेदारों के अनुसार उन्होंने इस भूमि का बेचान नहीं किया है। अतः इन खसरों में स्थित 2476.53 वर्ग गज भूमि को योजना में शामिल नहीं किया गया है जिससे योजना का आवासीय प्रतिशत 69.47 ही बनता है। अतः काश्तकार की भूमि को शामिल नहीं करते हुए इस भाग को अस्वीकृत किया जावे।
- ❖ योजना में खसरा नं. 220/343 की भूमि क्रय शूदा नहीं है। इस भूमि पर सृजित भूखण्डों को योजना में स्वीकृति हेतु सम्मिलित नहीं किया गया है अतः अस्वीकृत किया जावे।  
योजना के भूखण्ड संख्या 43 मंदिर है इसको अस्वीकृत किया जावे।  
उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण करते हुए योजना अनुमोदित की जावे।

#### **अतिरिक्त एजेण्डा संख्या-19 (जोन-9)**

विषय:-जोन-9 के ग्राम जीरोता जयसिंहपुरा, बास जीरोता में स्थित निजी खातेदारी की योजना विनायक रेजीडेन्सी के संशोधित मानचित्र अनुमोदित किये जाने के संबंध में।

पूर्व में लिये गये निर्णय में 3300 वर्ग मीटर सरकारी भूमि के एवज में जविप्रा के हक में 3300 वर्ग मीटर भूमि समर्पित किये जाने का निर्णय लिया गया था। जिसके क्रम में खातेदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के क्रम में प्रकरण पुनः समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया समिति द्वारा विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि खातेदार की खसरा सीमा में केवल 28674 वर्ग मीटर सरकारी भूमि भूखण्डों के अन्तर्गत समाहित होती है जिसकी किस्म गैर मुमकिन रास्ता है अतः इस भूमि के एवज में भूखण्ड संख्या 157 को जविप्रा के हक में समर्पित करवाया जावे।

#### **अतिरिक्त एजेण्डा संख्या-20 (जोन-11)**

विषय:- श्री गणपति गृह निर्माण सहकारी समिति योजना, सेटलमेंट नगर का संशोधित योजना मानचित्र अनुमोदन के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया/समिति को बताया गया कि इस योजना से संबंधित कुछ रिकॉर्ड भू-प्रबंध विभाग के कर्मचारियों की आवास समिति द्वारा प्रस्तुत किया है क्योंकि गणपति गृह निर्माण सहकारी समिति की इस योजना का रिकॉर्ड आयकर विभाग द्वारा सीज किया

हुआ है। गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा प्रस्तुत सदस्यता सूची अपूर्ण थी, अतः समाचार पत्र में विज्ञप्ति जारी कर नियमन शिविर लगाये गये हैं। जो भूखण्डधारी समिति द्वारा दिये गये समस्त दस्तावेजों के साथ शिविर में उपस्थित हुये, उनके दस्तावेजों की जांच के आधार पर सूची तैयार कैम्प में नियमन किया गया है। उस समय कैम्प के दौरान भूखण्ड संख्या टी-1, टी-2, टी-3, तथा एस-1, एस-2, एस-3, के भूखण्डधारी भी उपस्थित हुये थे। चूँकि अनुमोदित मानचित्र बीपीसी/जेडएलसी की बैठक संख्या 17वीं दिनांक 03.05.2002 के निर्णय द्वारा जारी किया गया है। उस मानचित्र में उपरोक्त वर्णित भूखण्ड संख्या अनुमोदित नहीं है तथा उनके स्थान पर अनुमोदित मानचित्र में सुविधा क्षेत्र दर्शाया गया है। इस कारण से भूखण्ड का नियमन नहीं किया गया।

योजना के भूखण्ड संख्या टी-1, टी-2, टी-3 तथा एस-1, एस-2, एस-3 के अनुमोदन के संबंध में निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. यद्यपि गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा पूर्ण रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया है। परन्तु प्रकरण के तथ्यों के मध्यनजर पूर्व में योजना के भूखण्डों का जिस आधार पर नियमन किया है उसी के अनुसार ही भूखण्ड संख्या टी-1, टी-2, टी-3, तथा एस-1, एस-2, एस-3 के भूखण्डधारियों के गृह निर्माण सहकारी समिति के मूल दस्तावेजों के आधार पर नियमन संबंधी कार्यवाही की जावे।
2. भूखण्ड संख्या टी-1, टी-2, टी-3 तथा एस-1, एस-2, एस-3 के नियमन के संबंध में चर्चा के दौरान यह तथ्य सामने आया कि योजना में भूखण्डों का आकार औसतन लगभग 250-300 वर्ग गज है। जबकि इन भूखण्डों का आकार औसतन लगभग 700 वर्ग गज प्रति भूखण्ड है।

चूँकि योजना में सुविधा क्षेत्र अथवा पार्क आदि का होना भी आवश्यक है एवं योजना के अन्य भूखण्डों के लगभग समान ही इन भूखण्डों का क्षेत्रफल करने से पार्क हेतु भी पर्याप्त स्थान प्राप्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में भूखण्ड संख्या टी-1, टी-2, टी-3 तथा एस-1, एस-2, एस-3 का साईज कम किया जावे।

चूँकि आवासन समिति द्वारा प्रस्तुत किये गये मानचित्र पत्रावली के पृष्ठ संख्या 91 में सडक 60 फीट दर्शायी गई है। लिहाजा पूर्व स्वीकृत मानचित्र में इस सडक को 40 फीट की जगह 60 फीट की चौड़ाई स्वीकृत की जावे। इस सडक पर पूर्व स्वीकृत मानचित्र में जो सुविधा क्षेत्र दर्शाया गया है उसमें भूखण्ड संख्या टी-1, टी-2, टी-3 तथा एस-1, एस-2, एस-3 का नियमन कर समायोजित करते हुए इसका क्षेत्रफल क्रमशः टी-1, 317.77 वर्ग गज टी-2, 320.66 वर्ग गज टी-3, 314.33 वर्ग गज तथा एस-1 का क्षेत्रफल 324.88 वर्ग गज, एस-2, क्षेत्रफल 328.00 वर्ग गज एस-3 क्षेत्रफल 326.83 वर्ग गज किया जाकर सुविधा क्षेत्र से कम करते हुए नियमन किया जावे।

पूर्व में अनुमोदित योजना मानचित्र में दर्शित सुविधा क्षेत्रफल 2984.44 वर्ग गज में संशोधन कर वाटिका रोड के पास दर्शित सुविधा क्षेत्रफल 1844.53 वर्ग गज संशोधित कर रखा जावे तथा इसे पार्क हेतु उपयोग में लिया जावे। योजना के पूर्व दिशा में दर्शित सुविधा क्षेत्र जो कि अनुमोदित मानचित्र में 40 फीट चौड़ी सडक पर दर्शाया गया है। भू-प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियों के आवास समिति द्वारा प्रस्तुत मानचित्र में उक्त सडक, की चौड़ाई 60 फीट दर्शाते हुए संशोधित

मानचित्र प्रस्तुत किया है। उसमें भूखण्ड संख्या टी-1, टी-2, टी-3 तथा एस-1, एस-2, एस-3 के भूखण्डों को समयोजित किया जावे।

3. अनुमोदित योजना मानचित्र में दर्शित आवासीय क्षेत्रफल का प्रतिशत 52.13 वर्ग गज में संशोधन कर 56.77 प्रतिशत रखा जावे तथा सुविधा क्षेत्रफल में 12.86 प्रतिशत के स्थान पर संशोधित कर 5.15 प्रतिशत किया जावे।

पूर्व अनुमोदित क्षेत्रफल किया जावे।

पूर्व में अनुमोदित क्षेत्रफल सारणी

संशोधित सारणी

क्र. स.	उपयोग	क्षेत्रफल (वर्ग गज)	प्रतिशत	क्षेत्रफल (वर्ग गज)	प्रतिशत
1.	आवासीय	21719.18	52.13 %	23651.62	56.77 %
2	रोड	14451.60	34.68 %	15728.46	37.75 %
3	सुविधा क्षेत्र	5353.83	12.86 %	2144.53	5.15 %
4	वाणिज्यिक	138.51	0.33 %	138.51	0.33 %
	कुल योग	41663.12	100 %	41663.12	100 %

अतः उपरोक्त निर्णय के आधार पर मानचित्र का अनुमोदन किया गया।

#### अतिरिक्त एजेण्डा संख्या-21(जोन-11)

विषय:- मेजर खन्ना गृह निर्माण सहकारी समिति लि. जयपुर की ग्राम मदरामपुरा तहसील सांगानेर में स्थित आवासीय योजना (राजस्व नगर) के अनुमोदन बाबत्।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर योजना के अनुमोदन बाबत् निम्नवत निर्णय लिये गये।

1. जोन के प्रस्तावानुसार भूखण्ड संख्या 10 से 17 व 21 से 29 कुल 17 भूखण्ड जो कि 132 के.वी. की एच.टी. लाईन तथा एल.टी. लाईन से प्रभावित है अतः विद्युत लाईन के नीचे सुरक्षित दूरी लाईन के मध्य से दोनों ओर 50 फीट रखे जाने के पश्चात् तथा एल.टी. लाईन से प्रभावित भूखण्डों में लाईन के मध्य से दोनों ओर 15'-00" सुरक्षा दूरी रखे जाने के बाद जिन भूखण्डों में सैटबैक छोड़ने के पश्चात् भी एक यूनिट भवन निर्माण क्षेत्रफल नहीं मिलता है उनको अस्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।
2. भूखण्ड संख्या 12 से 15 व 24 से 29 एवं 30 से 40 के मध्य 20 फीट चौड़ी सडक तथा भूखण्ड संख्या 1 से 7 व 8, 19, 20 के मध्य 30 फीट चौड़ी सडक को 40 फीट चौड़ी करने का निर्णय लिया गया। तदानुसार इन सडकों के दोनों ओर के भूखण्डों में से बराबर दूरी कम करते हुए नियमन किया जावे।
3. भूखण्ड संख्या 1 व 2 मौजूदा डब्ल्यू.बी.एम. सडक 40 फीट चौड़ाई से प्रभावित है अतः प्रभावित क्षेत्र को कम करते हुए भूखण्ड के शेष भाग का नियमन किया जावे।
4. योजना में कुल भूखण्ड संख्या 40 है जिसमें से 17 भूखण्ड विद्युत लाईन से प्रभावित है। शेष 23 भूखण्डों का नियमन किये जाने का निर्णय लिया गया है।


उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण करते हुए योजना अनुमोदित की जावे।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या-22(जोन-12)

विषय:-निजी खातेदार की फार्म हाउस योजना तक्षशिला नगर ग्राम सेवापुरा के अनुमोदन के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष विचार विमर्श हेतु प्रस्तुत किया। विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया कि योजना मानचित्र में निम्नानुसार संशोधन किया जावे:-

1. नाले की चौड़ाई निर्धारण के संबंध में जोनल अभियन्ता जोन से रिपोर्ट ली जावे।
2. फार्म हाउस योजना 60:40 में प्रस्तावित की जावे।
3. भूखण्ड संख्या 20 से 25 के सामने 60'-0" चौड़ी सडक को सीधा किया जावे।

  
3/8/07  
सदस्य सचिव,


भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान)  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक :- जविप्रा/वननि/बी.पी.सी./2007/डी- 385

दिनांक :- 03/8/07

प्रतिलिपि :-

1. अध्यक्ष, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
2. माननीय विधायक श्री मोहन लाल गुप्ता
3. माननीय विधायक श्री नवरतन राजोरिया
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
6. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
7. निदेशक (आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
8. अति० आयुक्त (पूर्व)/(पश्चिम)/(एलपीसी)/(भूमि), जविप्रा, जयपुर।
9. वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट/एम.पी.) जविप्रा, जयपुर।
10. उपायुक्त जोन ..... जविप्रा, जयपुर।
11. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।

  
3/8/07  
सदस्य सचिव,

भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान)  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर